# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 06/2022

अनवान : –

1. रामजीलाल पुत्र चुनीराम जाति नाई निवासी मालकस त0 भादरा –मृतक।
   क. लिछमा देवी पत्नि रामजीलाल
   ख. रणजीत पुत्र रामजीलाल
   ग. मांगेराम पुत्र रामजीलाल
   घ. विमला पुत्री रामजीलाल
   ङ. चन्दोदेवी पत्नि नन्दराम
   च. मुकेश पुत्र स्व नन्दराम जाति नाई निवासी मालकस त0 भादरा।

–प्रार्थी

बनाम्

1. दलीपकुमार पुत्र पीरूराम मेघवाल निवासी मालकस त0 भादरा।
2. कृष्णा पत्नी चेतराम जाति मेघवाल निवासीगण मालकस त0 भादरा।
3. मुकेश पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासीगण मालकस त0 भादरा।
4. मनीष पुत्र चेतराम जाति मेघवाल निवासीगण मालकस त0 भादरा।
5. विनोदकुमारी पुत्री चेतराम जाति मेघवाल निवासीगण मालकस।
6. बैंक ऑफ बडोदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबधंक।
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वकील प्रार्थी – श्री दलीप झोरड़
वकील अप्रार्थी –श्री संतलाल कालिरावण

निर्णय                    दिनांक: 20.12.22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मालकस के खाता सं0 57/66 के खसरा सं0 313 की 4.048है0 बारानी खातेदारी में 1/2 हिस्सा खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के चिपते अप्रार्थी सं0 1 दलीपकुमार की कृषि भूमि खसरा सं0 312/1 तथा अप्रार्थी सं0 2 ता 5 की खसरा सं0 312में 1.0312है0 खातेदारी स्थित है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए खसरा सं0 312 में स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर खसरा सं0 312 के पूर्वी तरफ होकर अप्रार्थी सं0 1 की खसरा सं0 312/1 के पूर्वी तरफ से होकर अपनी खातेदारी में प्रवेश करता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी मे प्रवेश के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता की बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थी दलीपकुमार व अप्रार्थीगण के पूर्वज चेतराम से पूर्व में भी सहमती बनी थी जिसमें अप्रार्थी सं0 2 ता 5 के पिता ने बिना किसी प्रतिफल के रास्ता दिया जाना स्वीकार किया था। अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त रास्ता के बदले प्रार्थी से नकदी रूपये हासिल कर उक्त रास्ता में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा नही करने एवं उक्त रास्ता को दर्ज करवाने की सहमती बाबत लिखापढी वर्ष 2011 में करवा दी गई। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता दर्ज करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने के लिए धमकी दी गई। अतः प्रार्थी कानून अपनी खातेदारी के उपयोग उपभोग के लिए रास्ता स्वीकृत करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण सं0 2 ता 8 हाजिर अदालत नहीं हुए इसलिए अप्रार्थीगण 2 ता 8 के विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । तहसीदार भादरा द्वारा मौका रिपॉर्ट पेश की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए प्रस्तावित रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है, मुताबिक तहसीलदार रिपॉर्ट रास्ता स्वीकृत किया जावें ताकि प्रार्थी को अपनी खातेदारी के उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। उक्त रास्ता के बदले प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को जरिये ईकरारनामा राशी पूर्व में दे दी गई है जिसकी प्रति पत्रावली में सलंग्न है। वकील अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 की कृषि भूमि खसरा सं0 312/1 मे से रास्ता बाबत एक दावा रामजीलाल बनाम दलीप मु0न0 68/21 न्यायालय सिविल न्यायधिश भादरा में अप्रार्थी सं0 1 के खिलाफ पेश कर रखा है जिसमें आगामी तारीख मुकर्र है। इस प्रकर उकत दावा के चलते यह आवेदन चलने काबिल नही है और काबिले खारिज है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मोजा मालकस के खाता सं0 57/66 के खसरा सं0 313 की 4.048है0 बारानी खातेदारी में 1/2 हिस्सा खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रवेश के लिए खसरा सं0 312, 312/1 मे रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है मुताबिक तहसीलदार भादरा रिपॉर्ट खसरा सं0 313 में जाने के लिए खसरा सं0 312/1 की पूर्वी सीमा के साथ–साथ दक्षिण से उतर की ओर खसरा सं0 313 में प्रवेश करता है। तथा उक्त रास्ता की एवज में पक्षकारान के मध्य दिनांक 02.09. 2021 को एक समझौता जरिये ईकरारनामा हुआ है जिसमें प्रार्थी ने पहले ही अप्रार्थी सं0 1 को

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त रास्ता की एवज के बदले राशि का भुगतान कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचनानुसार स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा मालकसर के खसरा नं0 312 तथा 312/1 में पूर्वी तरफ दक्षिण से उत्तर के लिए एक–एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत कर रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी), R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ